न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

Eviction Appeal Csae No.-08/2022-23

समिएल किस्कू वगैरह
बनाम
मताल मरांडी

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	आदेश यह अपील वाद, अपीलकर्त्ता समिएल किस्कू, पिता–स्व0 मताल किस्कू (2) छुतार किस्कू, पिता–स्व0 मताल किस्कू (3) बुलाई किस्कू (4) मताल किस्कू (5) सकल किस्कू (6) कुबराज किस्कू क्रमांक–03 से 06 का पिता–स्व0 देवीलाल किस्कू (7) अर्जून किस्कू, पिता–देवीलाल किस्कू सभी का सा0–बीसनपुर, थाना–मालपहाड़ी (ओ0पी0), जिला–पाकुड़ के द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के आर0ई0आर0 वाद सं0–01/2020–21 में दिनांक–01.12.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध मताल मरांडी, पिता–स्व0 चेतन मरांडी, सा0–बीसनपुर, सा0–मालपहाड़ी (ओ0पी0), जिला–पाकुड़ को पक्षकार बनाते हुए दाखिल किया गया है। मामला संक्षेप में यह है कि इस वाद के उत्तरवादी मताल मरांडी के द्वारा मौजा–बिसनपुर, अंचल–पाकुड़ के जमाबंदी सं0–01 के दाग सं0–382 अन्तर्गत रकवा 00–06–00 धुर जमीन से समिएल किस्कू एवं अन्य (इस वाद के अपीलकर्त्ता) को SPT Act 1949 की धारा 42 के तहत उच्छेद करने हेतु निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा आर0ई0आर0 वाद संख्या– 01/2020–21 संस्थित करते हुए सुनवाई के पश्चात् दिनांक 01.12.2022 को पारित आदेश द्वारा समिएल किस्कू एवं अन्य को प्रश्नगत भूमि से उच्छेद किया गया। यह अपीलवाद निम्न न्यायालय द्वारा पारित इसी आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है। अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता को एडमिशन के बिन्दू पर सुना गया। उनका कहना है कि प्रश्नगत जमाबन्दी सं0– 01 के खतियानी रैयत कड़मी मुर्मू है। कड़मी मुर्मू के तीन पुत्र अन्ता किस्कू, कान्हू किस्कू एवं मताल किस्कू हुए। अपीलार्थीगण आन्ता किस्कू के वंशज है एवं प्रश्नगत भूमि के वैद्य उत्तराधिकारी हैं। अंचल अधिकारी, पाकुड़ द्वारा निम्न न्यायालय में समर्पित प्रतिवेदन भ्रामक एवं गलत है। उक्त प्रतिवेदन में खतियानी रैयत का केवल दो पुत्र कान्हू किस्कू एवं मताल किस्कू दर्शाया गया है एवं अन्ता किस्कू को छोड़ दिया गया है। प्रश्नगत दाग में अपीलार्थीगण का मिट्टी का मकान	

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	है एवं इसमें वे बसोवास करते है। सुनवाई केक्रम में यह भी बताया कि पूर्व में विद्वान सब जज पाकुड़ के न्यायालय में टाईटल सूट 08/04 चला था जिसमें प्रश्नगत भूमि भी शामिल थी। उक्त वाद में अपीलकर्त्तागण हार गए। तत्पश्चात् माननीय जिला जज प्रथम के न्यायालय में प्रथम अपील वाद 09/12 द्वारा किया गया जिसमें भी अपीलकर्त्तागण हार गए। माननीय जिला जज प्रथम द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्तागण द्वितीय अपील में गए हैं। उनके द्वारा अपील आवेदन को एडमिट करने का अनुरोध किया गया।
	प्रश्नगत मामले में अंचल अधिकारी, पाकुड़ से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई थी। अंचल अधिकारी, पाकुड़ के पत्रांक 44/रा0, दिनांक 18.01.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत जमाबंदी के खतियानी रैयत कड़मी मुर्मू थी जिनके दो पुत्र कान्हू किस्कू एवं मताल किस्कू थे। उत्तरवादी उक्त मताल किस्कू के पुत्र है। तीन रैयतों द्वारा कड़मी मुर्मू के तीन पुत्र आन्ता किस्कू, कान्हू किस्कू एवं मताल किस्कू होने की बात कही गई परन्तु आगे की वंशावली नहीं बता सके। जिससे उक्त तीन रैयतों का कथन संदिग्ध प्रतीत होता है। प्रश्नगत भूमि को लेकर स्वत्व वाद भी चला जिसमें अपीलकर्त्तागण हार गए हैं। इस प्रकार अपीलकर्त्तागण खतियानी रैयत से अपना संबन्ध स्थापित करने में पूर्ण रूप से विफल रहे हैं। उनके द्वारा अपने दावे के समर्थन में ऐसा कोई कागजात/दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया जिससे उनके दावे की पुष्टि हो सके। निम्न न्यायालय द्वारा उक्त बिन्दुओं पर विवेचना के उपरांत आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय के आदेश से असहमत होने का कोई औचित्यपूर्ण आधार नहीं है। ऐसे में वाद को अंगीकृत कर सुनवाई करने का कोई ठोस कारण नहीं है।
	अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील आवेदन अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा जाता है।
	अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें।
	लेखापित एवं संशोधित।
	उ० आयुक्त, पाकुड़। उ० आयुक्त, पाकुड़।

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.03.02 18:01:39 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:248a:21af:3557:aac0

Scanned with CamScanner